न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**
राजस्व वाद संख्या : **248/2012**

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर, तहसील–जैतारण,
जिला–पाली

1. दमुदेवी पत्नी सुगनलाल कुम्हार
2. भंवरलाल पुत्र पेमाराम कुम्हार
3. सोहनदास पुत्र मांगूदास साद
4. गणेशदास पुत्र सुगनदास साद
5. लक्ष्मणदास पुत्र सुगनदास साद
निवासीगण –कुड़की
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजूः. 29.11.2012**

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 08/07/2015**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार के पद पर कार्यरत् है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा–कुड़की, तहसील–जैतारण में ख.नं. 155 रकबा 14–17 बीघा किस्म बा0अ0 लगान 7.44 रुपये प्रतिवर्ष की आई हुई हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात कृषि कार्य हेतु विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि भूमि है और उसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी में से रकबा 28 वर्ग मीटर किस्म बा0अ0 पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर मोबाईल टावर के उपयोग में किया जा रहा है और भूमि को कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी है। उक्त भूमि सरहद मौजा–कुड़की, तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 155 रकबा 14–17 बीघा किस्म बा0अ0 लगान 1.65 आई हुई हैं, जो अदालत हाजा के अधिकार क्षेत्र में है। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनांक 21/11/2012 को प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह वाद प्रस्तुत किया जो समयावधि में है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रति0 को उक्त विवादित आराजी की भूमि से बेदखल किये जाने की इस्तदुआं की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिसेज वास्ते ज0दा0 तलब किया गया। प्रति0 को दिनांक 29/11/2012 को नोटिस जारी किया गया। बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बहस नायब तहसीलदार, जैतारण की सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी ने मौजा–कुड़की के खसरा नम्बर 155 रकबा 28 वर्ग मीटर किस्म बा0अ0 में मोबाईल टॉवर के उपयोग में ले रहा हैं। कृषि भूमि की उपयोगिता समाप्त कर दी गई हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उलंघन किया हैं। प्रतिवादी को उक्त आराजी से बेदखल करना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

–::आदेश::–

अतः डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–कुड़की, तहसील–जैतारण में ख.नं. 155 रकबा 28 वर्ग मीटर किस्म बा0अ0 जो अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रतिवादी के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 08/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–कुड़की पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

वादी :-
1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर, तहसील-जैतारण,
जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-
1. दमुदेवी पत्नी सुगनलाल कुम्हार
2. भंवरलाल पुत्र पेमाराम कुम्हार
3. सोहनदास पुत्र मांगूदास साद
4. गणेशदास पुत्र सुगनदास साद
5. लक्ष्मणदास पुत्र सुगनदास साद
निवासीगण -कुड़की
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 248/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....-........ व हाजरी तहसीलदार, जैतारण उपस्थित मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-कुड़की, तहसील-जैतारण में ख.नं. 155 रकबा 28 वर्ग मीटर किस्म बा0अ0 जो अकृषि प्रयोजनार्थ हैं, की खातेदारी खारिज की जाती हैं। प्रतिवादी के हिस्से की भूमि में से उक्त रकबा कम किया जाकर सिवाय चक दर्ज किया जाता हैं। प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं कि प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा प्राप्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

मिजानः- मिजानः-

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।